प्रपत्र–23.1

दिनांक ....10.../011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत **बघर**

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
28	केदार सिंह बिष्ट	केदार सिंह
29	शंकर सिंह	शंकर सिंह
30	दीपा देवी	दीपा देवी
31	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
32	त्रिलोकराम	तिलोकराम
33	रमिराम	रमिराम
34	घनश्याम राम	घनश्याम राम
35	उम्मावसिंह	उम्मावसिंह
36	गंगासिंह	गंगासिंह
37	रघुवरसिंह	रघुवरसिंह
38	रामसिंह	रामसिंह
39	रमेश कुमार	Ramesh Kumar
40	रतन राम	रतन राम
41	सुरेश राम	सुरेश राम
42	बीरु राम	बीरु राम
43	पानसिंह	पानसिंह
44	धनपाल सिंह	[illegible]
45	आनुली देवी	Ramesh
(46)	रमेश कुमार	[illegible]
47	उत्तमसिंह	उत्तमसिंह
48	उम्मेद सिंह	उम्मेद सिंह
49	जगत सिंह	[illegible]
50	भूपालसिंह	[illegible]
51	बलवन्तसिंह	[illegible]
52	गंगासिंह	[illegible]
53	प्रवीनसिंह	[illegible]
54	हीरा राम	हीरा राम

ह0/– मुलाल राम
ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघर
वि0ख0-कपकोट जिला-बागेश्वर

प्रपत्र–23.1

दिनांक ....10/011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत **बघर**

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible] सिंह [illegible]	[signature]
(2)	सुन्दर सिंह बिष्ट	[signature]
3-	हरिशंकर सिंह [illegible]	[signature]
4-	आशा देवी	आशा देवी
5-	बलवंत राम	बलवंत [illegible]
6-	दिवान सिंह	दीवान सिंह
7-	मेहरबान सिंह	मेहरबान सिंह
8-	पदम सिंह	पदम सिंह
9-	राजेन्द्र सिंह	[signature]
10-	राकेश सिंह	राकेश सिंह
(11)	चंचल राम	Chanchal Ram
(12)	तुलसी देवी	तुलसी देवी
(13)	भूपाल राम	भूपाल राम
14	मोहन राम	[signature]
15	लीला	लीला
16	लक्ष्मी	लक्ष्मी
17	कमला	कमला
18-	बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
19	त्रिलोकसिंह	[signature]
20	जगतराम	जगतराम
21	मोहन सिंह	मोहन सिंह
22	लक्ष्मणसिंह	[signature]
23	रमेश सिंह	[signature]
24	दयाल सिंह बिष्ट	[signature]
25	कैलाश सिंह	[signature]
26	प्रमोद कुमार	[signature]
27	महेशसिंह बघरी	[signature]

ह0/– [illegible] राम

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघर

प्रपत्र–23.1

दिनांक ....10..../011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत **बघर**

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
55	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
56	दीपक राम	दीपक राम
57	Rumesh	Rumesh
68	Bakesh	Bakesh
69	इन्दर सिंह	
70	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
71	तरुण देव	[illegible]
7		[illegible]
72	राजेन्द्र सिंह बघरी	[illegible]

ह0/– [illegible]

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघर
वि0ख0-कपकोट जिला-बागेश्वर

प्रारुप–31

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क0सं0	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे0 में)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे0 में)	वन पंचायत भूमि (हे0 में)	संरक्षित वन (हे0 में)	कुल वन भूमि (हे0 में)	नाप भूमि (हे0 में)	कुल योग (हे0 में)
			––––शून्य––––					
योगः–								

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

AAE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारुप–32

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

––––– शून्य –––––

AAE

ह0/
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारूप - 37

57

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 235 / 2181 / 09

जनपद बागेश्वर में प्र0ग्रा0 सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में बघर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दिसम्बर 2009

जनपद बागेश्वर में प्र0ग्रा0 सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में बघर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अन्तर्गत 10.00 कि0मी0 लम्बाई में बघर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.11.2009 को सहायक अभियन्ता श्री डी0 एस0 बसनाल के साथ मार्ग के सम्बन्धित अभिलेखों का, सर्वेक्षण विवरण का एवं आंशिक रूप से समरेखन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।

2. प्र0ग्रा0 सड़क योजना फेज–VIII के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में बघर मोटर मार्ग का 10.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण का प्रस्ताव है। यहां उल्लेखनीय है कि ग्राम बघर को जोड़ने के लिये पूर्व में फेज–III में सरन से बघर मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव था, किन्तु कुछ भाग में समरेखन के भूस्खलन क्षेत्र से गुजरने के कारण वह निरस्त हो गया था। अब मार्ग के आरम्भिक स्थल पर भूस्खलन को avoid करते हुये समरेखन में परिवर्तन किया गया है। अब समरेखन ग्राम तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन के कि0मी0 2 में वल्ला सरन गांव से आगे आरम्भ होता है। इस समरेखन के अनुसार मार्ग निर्माण से ग्राम सरन, तल्ला बंघर (इन्टर कालेज एवं प्रा0 पाठशाला), वरिनातोक (कि0मी0 8) एवं धरपुड़ी लाभान्वित होंगे। समरेखन कि0मी0 1, कि0मी0 4 एवं कि0मी0 8 में नदी/गधेरों को पार करता है, जिन पर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन में नौ हेयर पिन बैण्ड्स हैं, जिनमें कुछ के मध्य प्रस्तावित परस्पर दूरी कम प्रतीत होती है। कि0मी0 5 में नियोजित बैण्ड्स के कारण मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर निर्मित की जानी होंगी। समरेखन क्षेत्र में तेजम ग्रुप की लाईमस्टोन चट्टान हैं। ये चट्टान स्थान–स्थान पर shattered हैं तथा लूज प्रतीत होती हैं।

3. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि ग्राम बघर हेतु पूर्व में निर्धारित समरेखन अस्थिर भू–भाग से गुजरने के कारण निरस्त किया जा चुका है। प्र0ग्रा0 सड़क योजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने एवं स्थानीय ग्रामवासियों की आवश्यकता को देखते हुये ग्राम बघर को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना आवश्यक है। मार्ग निर्माण हेतु समरेखन निर्धारण के लिये सीमित विकल्प हैं। क्षेत्र की भौगोलिक एवं भूगर्भीय स्थिति को देखते हुये यह प्रतीत होता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् वर्षाकाल में मार्ग के निरन्तर अनुरक्षण एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता हो सकती है। बघर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन, दिये गये उक्त तथ्यों एवं प्रश्नगत क्षेत्र को देखते हुये मोटर मार्ग के निर्माण एवं स्थायित्व की दृष्टि से निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण होंगे।

(क) वल्ला सरन गांव में वल्ला प्राइमरी स्कूल के ऊपर से (क्रास सैक्शन 0/14 से 0/20 तक) लगभग 150 मी0 लम्बाई में पहाड़ी ढलान तीव्र है। इस भाग में shattered चट्टान है। मार्ग हेतु कटान के बाद स्थानीय रूप से यहां ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है। अतः इस भाग में मार्ग निर्माण में अत्यन्त सावधानी अपेक्षित होगी। मार्ग हेतु कटान चरणबद्ध ढंग से एक बार में अधिकतम 25 मी0 लम्बाई में किया जाये तथा कटान के साथ–साथ ब्रेस्टवाल का निर्माण करा दिया जाये। मार्ग कटान बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये manually कराया जाये तथा कटान वर्षा काल में न किया जाये।

(ख) क्रास सैक्शन 0/20 से प्रस्तावित पुल स्थल तक (क्रास सैक्शन 0/28–29) समरेखन, ढलान पर स्थित पुराने भूस्खलित भाग में गुजरता है। इस भाग में समरेखन कहीं–कहीं पर नदी के समीप है। इस भाग में अपेक्षाकृत कम ढलान वाले स्थान पर मार्ग का निर्माण कराया जाये तथा साथ–साथ आवश्यकतानुसार ब्रेस्टवाल/रिटेनिंगवाल का निर्माण करा दिया जाये। मार्ग का निर्माण नदी से सुरक्षित दूरी रखते हुये कराया जाये अथवा जहां नदी के द्वारा टो कटान की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों पर समुचित सुरक्षात्मक प्रावधान (जैसे प्लम ब्लाक्स, टो वाल आदि) किये जायें, जिससे मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना न रहे।

(ग) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये। पास–पास स्थित बैण्डस के मध्य यथासम्भव दूरी बढाई जाये।

(ङ.) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति मे मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(च) समरेखन के कि0मी0 5 में पहाड़ के एक ही ढलान पर बैण्ड्स होने के कारण मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो जायेगी जो सामान्यतः मार्ग की स्थिरता तथा अनुरक्षण की दृष्टि से अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः विस्तृत सर्वेक्षण के समय बैण्ड्स के मध्य दूरी बढाते हुये यथासम्भव बैण्ड्स की संख्या को कम किया जाये।

(छ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ज) समरेखन में तीव्र ढलान एवं लूज स्ट्रेटा वाले भाग को avoid करते हुये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(झ) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये जिससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ण) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ट) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ठ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

60

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) समरेखन में एक ही हिल फेस पर नियोजित किये गये हेयर पिन बैण्ड्स पास–पास होने की स्थिति में मार्ग की आर्म्स के मध्य दूरी कम रहेगी। तीव्र ढलान पर over burden material होने की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5. विकास खण्ड कपकोट में बघर मोटर मार्ग हेतु 10.00 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पंत्राक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दियें गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

Attested

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

H. Kumar
22.12.09
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो॰नि॰वि॰ उत्तरांचल
देहरादून

प्रारूप - 34

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,	बागेश्वर,	बागेश्वर,

प्रारूप - 35

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	सहायक अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	अधिशासी अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,

प्रारूप - 36

63

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यापक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्ड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटि्टयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,	बागेश्वर,	बागेश्वर,

प्रारूप - 37

69

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (**9.934 कि0मी0**) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ट अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–II, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	सहायक अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–II, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	अधिशासी अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–II, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,

ह0/– (राजस्व उपनिरीक्षक)	ह0/– (तहसीलदार) तहसीलदार कपकोट जनपद–बागेश्वर

ह0/–
(जिलाधिकारी)
जिला अधिकारी
बागेश्वर।

प्रा२५ - 38 65

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन्य जीव/ वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,	बागेश्वर,	बागेश्वर,

प्रारुप - 39

प्रपत्र-32

परियोजना का नाम :— **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को /रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग	ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई	पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,	बागेश्वर,	बागेश्वर,

प्रारूप - 40

परियोजना का नाम :— **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों / परिवारों / जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क0 स0	गांव का नाम	कोड सख्या	ज्नसख्या	
			कूल जनसख्या	अनूसूचित जाति / जनजाति
1.	बगर	01047700	1673	
TOTAL			**1673**	

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0– I I, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,

सहायक अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0– I I, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग
पी0 आई0 यू0– I I, पी0एम0जी0एस0वाई
बागेश्वर,

प्रारुप–41

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये **शून्य** प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु **शून्य** हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये **शून्य** होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का **शून्य** प्रतिशत की दर से रूपये **शून्य** प्रतिवर्ष होता है।

ह0/–
जिलाधिकारी

AAE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारुप-42

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण दस वर्षीय योजना

वृक्षारोपण स्थल का नामः– **तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग**
वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफलः – 9.8296 है0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या – 2000 पौध प्रति है0

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	71.50	है0	71.50
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	2384.00	है0	2384.00
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)95घ0मी0प्रति है0	1	है0	14171.40	है0	14171.40
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रह हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	2	सं0	1489.30	सं0	2978.60
5.	गड्ढा खुदान (030 x 030 x 045)	2000	गढ्ढे	5.00	गढ्ढे	10000.00
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	596.00	है0	596.00
7.	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	1500	पौध	4.60	है0	6900.00
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	.0500	है0	658.30	है0	329.15
9.	प्रवेष सीढ़ी	2	है0	189.00	है0	378.00
10.	जल संरक्षण कार्य	1.5	है0	5470.00	है0	8205.00
	प्रथम चरण का योगः–					**46013.65**

द्वितीय चरण

1.	गड्ढा भरान कार्य (030 x 030 x 045)	2000	गढ्ढे	0.90	गढ्ढे	1800.00
2.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 25प्रतिशत	500	पौध	5.10	पौध	2550.00
3.	पौध ढुलान कार्य	2000	पौध	3.30	पौध	6600.00
4.	पौधारोपण व थालाबन्दी	2000	पौध	1.80	पौध	3600.00
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	2000	गढ्ढे	2.40	गढ्ढे	4800.00
6.	खाद व दवा पर व्यय	2000	गढ्ढे	0.60	गढ्ढे	1200.00
7.	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	2000	है0	3049.00	है0	3049.00
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	259.00	है0	259.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1	है0	259.00	है0	259.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। अ – प्रशिक्षण	1	है0	365.00	है0	365.00
	ब – प्रोत्साहन	1	है0	198.00	है0	198.00
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार–प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1-50	है0	764.50	है0	1146.75
	द्वितीय चरण का योगः–					**25826.75**

तृतीय चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12माह	1	है0	5300.00	है0	5300.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	644.00	है0	644.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	450.00	है0	450.00
	2. 3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ– प्रशिक्षण	1	है0	365.00	है0	365.00
	ब– प्रोत्साहन	1	है0	200.00	है0	200.00
	तृतीय चरण योगः–					**6959.00**

चतुर्थ चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	चतुर्थ चरण योगः–					**7314.30**

पंचम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	पंचम चरण योगः–					**7314.30**

षष्टम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	षष्टम चरण योगः–					**7314.30**

सप्तम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	सप्तम चरण योगः–					**7314.30**

अष्टम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	अष्टम चरण योगः–					**7314.30**

नवम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	नवम चरण योगः–					**7314.30**

दसम चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	दसम चरण योगः–					**7314.30**

दसम वर्ष रखरखाव सहित व्यय का प्राकलन

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1-	प्रथम चरण	46013.65
2-	द्वितीय चरण	25826.75
3-	तृतीय चरण	6959.50
4-	चतुर्थ चरण	7314.30
5-	पंचम चरण	7314.30
6-	षष्टम चरण	7314.30
7-	सप्तम चरण	7314.30
8-	अष्टम चरण	7314.30
9-	नवम चरण	7314.30
10-	दशम चरण	7314.30
	कुल व्यय	**130000.00**

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 130000.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल = 4.9148 है0 x 2 = 9.8296 है0।

दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 9.8296 x130000.00 = **1277848.00**

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
लोहारखेत
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

AAE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारूप-43

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर (9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु अर्जित वन पंचायत भूमि तथा सिविल एवं सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 4.914 है0 है, के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 9.8296 है0 अनवरत सिविल सोयम भूमि ग्राम कर्मी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा0अ0से0, पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
बागेश्वर(क्षेत्र–कपकोट)

सहायक अभियन्ता
ग्रा0अ0से0, पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
बागेश्वर(क्षेत्र–कपकोट)
Assistant Engineer PMGSY, PIU II (Bageshwar)

राजस्व उप निरीक्षण

तहसीलदार
तहसीलदार कपकोट

वन क्षेत्राधिकारी

उप जिलाधिकारी
Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर.

जिलाधिकारी
जिला अधिकारी बागेश्वर

प्रारुप–44

परियोजना का नामः– परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया गया है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

AAE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारुप–45

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है, संलग्न किया गया है। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया गया है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

AAE

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

72

प्रा२५-४६

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	सहायक अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,	अधिशासी अभियन्ता ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग पी0 आई0 यू0–।।, पी0एम0जी0एस0वाई बागेश्वर,

वन क्षेत्राधिकारी
लोहारखेत
बागेश्वर वन प्रभाग
वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी